कार्यालय प्रधानमुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष—स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वन्यजीव मगरमच्छ की वीडियो वायरल कर लोकप्रियता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एसटीएसएफ ने दबोचा।

प्रेस विज्ञप्ती (**32/26,** दिनांक **03.06.2026)**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश के निर्देशन में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश द्वारा डिजिटल प्लेटफार्मपर वन्यजीव सें संबंधित अवैधानिक विडियों बनाकर कर वायरल करने वाले व्यक्ति पर की कडी कार्यवाही। एसटीएसएफ ने **सोशल मीडिया एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम** पर अनुसूची-। में दर्ज वन्यजीव मगरमच्छ को पकडने, अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखने, उसके साथ छेडछाड़ करने, उसको उठाकर पटकने, घसीटने, इस प्रकार की क्रूरता का वीडियों (Reel) बनाकर लोकप्रियता (Likes) प्राप्त करने, एवं अपने Followers बढाने के उद्देश्य से अपलोड कर वायरल कर दिया गया। जिसके संबंध में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जांच कर, उक्त शरारती व्यक्ति के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त कर उसे मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के होने की पुष्टि हुई।

जिस पर एसटीएसएफ की क्षेत्रीय इकाई शिवपुरी एवं वनमंडल शिवपुरी के वन अमले के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये ग्राम गरेंठा तहसील पिछोर से 02 आरोपी सुखनंदन केवट एवं गुलई सिंह को अभिरक्षा में लिया गया।आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ग्राम गरेंठा से लगी बुधना नदी में बिजली का करंट लगाकर मगरमच्छ को मारने का प्रयास करना स्वीकारा एवं यह भी बताया कि वह मछली मारने के लिए निरंतर विद्युत करंट का उपयोग करता है, जिससे मगरमच्छ भी चपेट में आ जाते है। पूछताछ में इन्टाग्राम में अपलोड वीडियों में दिखाये जा रहे Content संबंधी अपराध को स्वीकारा। इसके उपरांत् दोनों व्यक्तियों पर वन मंडल शिवपुरी के द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1066/22 दिनांक 02.06.2026 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध किया गया। विधिवत कार्यवाही के उपरांत दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय पिछोर जिला शिवपुरी म.प्र. के समक्ष पेश किया गया।

वन्यजीवमगरमच्छ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, की अनुसूची-। में आता है, जिसको मारना या क्रूरता करने का कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिस हेतु **न्यूनतम 3 वर्ष एवं अधिकतम 7 वर्ष की सजा** का प्रावधान है। उक्त दोनों व्यक्तियों के द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का उल्लघंन किया गया है। **उक्त कृत्य के संबंध में आम नागरिकों को भी सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लोकप्रियता प्राप्त करने हेतु निरीह वन्यजीवों के साथ क्रूरता न की जावें और न ही उनके साथ कोई अमानवीय कृत्य किया जावें।**

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल